

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 15 सितम्बर, 2018

संख्या: 1/मु0-1011/2018-सा0प्र0-12445/ श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (बी एच:1996) को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-09/बि0वि0प0स0-30/2007-442 दिनांक 25.09.2017 द्वारा अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर किये गये पदस्थापन की अवधि को परिगणित करते हुए श्री आनन्द किशोर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-11545 दिनांक 28.08.2018 द्वारा किये गये पदस्थापन को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

2. श्री आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उपर्युक्त पदस्थापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 1959 (बिहार एक्ट-II 1960) की धारा-4 की उप धारा-(1), (2) एवं (4) के तहत पूर्णकालिक होगा और दिनांक 25.09.2017 से अगले तीन वर्षों अथवा राज्य सरकार के अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/मु0-1011/2018-सा0प्र0-12445 /पटना-15,दिनांक: 15 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग /अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर,सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।